

Publication

Dainik Jagran

Language

Edition

New Delhi

Journalist

Arvind Sharma

Hindi

Date

CCM

21/09/2024

Page no

39.00

Dairy committees will change the fate of one lakh villages

डेरी समितियों से बदल जाएगी एक लाख गांवों की किस्मत

दुग्ध क्रांति

अरविद शर्मा 🛭 जागरण

नई दिल्ली: ग्रामीण अर्थतंत्र को रफ्तार देने के लिए देश में दूसरी श्वेत क्रांति की शुरुआत एक लाख गांवों से होने जा रही है। पांच वर्षों के दौरान 56 हजार 586 नई डेरी सहकारी समितियों और मिल्क पूलिंग प्वाइंट्स की स्थापना होनी है। इसमें ऐसे गांवों को कवर किया जाना है, जहां अभी डेरी समितियां नहीं बन पाईं हैं। लगभग साढे पांच दशक बाद प्रारंभ हुई दूसरी श्वेत क्रांति के तहत पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, संग्रहण और निर्यात पर फोकस किया जा रहा है। अभी देश के एक लाख 59 हजार से ज्यादा गांवों में डेरी से जुड़ी





सहकारी समितियां क्रियाशील हैं, जिनके जरिये प्रतिदिन औसतन 590 लाख लीटर दूध की खरीद हो रही है। अगले पांच वर्षों में इसे 50 प्रतिशत बढाते हुए लगभग एक हजार लाख लीटर करना है। अभी देश में दूध संग्रहण में प्रतिवर्ष लगभग छह प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। इसे बढ़ाकर नौ प्रतिशत करना है। ग्राम स्तर पर पहले से क्रियाशील वर्ष मात्रा (लाख लीटर में) 2024-25 2025-26 780 2026-27 847 2027-28 923

2028-29

वर्षवार दूध संग्रह का लक्ष्य

46 हजार डेरी समितियों को भी समृद्ध करना है। उन गांवों में उच्च स्तर की दूध संकलन इकाई, बल्क मिल्क कूलर, डेटा प्रोसेसर व परीक्षण आदि उपकरण लगाने हैं। इससे प्राथमिक डेरी सहकारिता के नेटवर्क के विस्तार में मदद मिलेगी। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। छोटे गोपालकों के घर तक बाजार की पहुंच होगी तो उन्हें लाभकारी

1007

मूल्य भी मिल सकेगा। देश में दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो घरेलू मांग की आपूर्ति हो सकेगी और निर्यात करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी।

एनडीडीबी के सर्वे में बताया गया है कि दूध में अभी भी असंगठित क्षेत्र का ही प्रभुत्व है। इससे गुणवत्ता को नियंत्रित करने में दिक्कत होती है, लेकिन जब सहकारिता के जरिये गांव-गांव से अधिक मात्रा में दूध का संकलन होने लगेगा तो संगठित डेरी उद्योग को व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके बाद उपभोक्ताओं को शुद्ध दुध भी मिल सकेगा। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को योजना तैयार करने की जिम्मेवारी दी गई है। इसके तहत गांव और पंचायत स्तर परं आसान ऋण व अन्य सारी सहूलियतों की व्यवस्था की जाएगी। प्रोजेक्ट पर काम प्रारंभ हो गया है।



Publication Punjab Kesri Hindi Language Edition New Delhi Journalist Bureau 21/09/2024 Date 8 Page no

Withdrawal limit for Sahara depositors raised to Rs 50,000

14.75

सहारा के जमाकर्ताओं के लिए वापसी की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये की

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): सरकार ने सहारा समूह सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं के लिए वापस की जाने वाली राशि की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है। सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। सरकार ने अब तक सीआरसीएस (सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक) सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी सिमतियों के 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

CCM

रिफंड राशि की सीमा 50,000 रुपये तक बढने से अगले 10 दिन में लगभग 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते छोटे जमाकर्ताओं के लिए 'रिफंड' राशि की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई थी। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सहारा समृह की चार बह-राज्य सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की वैध जमा राशि की वापसी के दावे प्रस्तुत करने के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई-2023 को पेश किया गया था।

